रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092023-249063
CG-DL-E-29092023-249063

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7, 1945
No. 557] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

आय-कर

सा.का.नि. 702(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकङ की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेईसवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 21कज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**21कजक. धारा 115खकङ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग--**(1) किसी व्यक्ति, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के

लिए धारा 115खकङ की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में प्रयोग किया जाने वाला विकल्प प्ररूप सं. 10झचक में होगा ।

(2) प्ररूप सं. 10झचक में विकल्प को या तो डिजीटल हस्ताक्षर के अधीन या इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के अधीन इलैक्ट्रानिकी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली),--

(i) प्ररूप सं. 10झचक को फाइल करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए उपनियम (2) में निर्दिष्ट डाटा स्ट्रकचर, और इलैक्ट्रानिकी सत्यापन कूट के सृजन के मानक और रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार प्रस्तुत प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना के लिए उत्तरदायी होगा ।"

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10झच के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 10झचक

[नियम 21कजक का उपनियम (1) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकङ की उपधारा (5) के अधीन

विकल्प का प्रयोग करने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी

....

....

महोदय/महोदया,

मैं .... [115खकङ की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग करने वाली सहकारी सोसाइटी का नाम और रजिस्ट्रीकृत पता], जिसका स्थायी लेखा संख्यांक .... है, के निमित्त आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115खकङ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का .... पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए प्रयोग करता हूं ।

2. सहकारी सोसाइटी के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(i) सहकारी सोसाइटी का नाम	:	
(ii) क्या निवासी सहकारी सोसाइटी है	:	हां/नहीं
(iii) पेन सं.	:	
(iv) रजिस्ट्रीकृत पता	:	
(v) रजिस्ट्रीकरण की तारीख	:	दिन/मास/वर्ष
(vi) कार्यकलापों की प्रकृति	:	
(vii) विनिर्माण/उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख	:	

3. मैं यह जानता हूं कि धारा 115खकङ की उपधारा (5) के अधीन किसी पूर्व वर्ष के लिए विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात् उसे उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है।

4. मैं, यह पुष्टि करता हूं कि--

(i) कारबार को पहले से ही विद्यमान कारबार का विभाजन करके या पुनर्गठन करके विरचित नहीं किया गया है ;

(ii) कारबार अधिनियम की धारा 115खकङ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 में यथा उपबंधित के सिवाय पूर्व में उपयोग की गई किसी मशीनरी या संयंत्र का उपयोग नहीं करता है ;

(iii) सहकारी सोसाइटी किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण और उत्पादन तथा उसके संबंध में अनुसंधान या ऐसी वस्तु या चीज, जिसका ऊपर बिन्दु 2(vi) में विनिर्दिष्ट विनिर्माण या उत्पादन से भिन्न किसी कारबार में नहीं लगी हुई है।

5. मैं, यह और पुष्टि करता हूं कि पूर्वोक्त शर्तों के अतिरिक्त धारा 115खकङ में उपदर्शित शर्तों को पूर्वोक्त सहकारी सोसाइटी द्वारा पूरा किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

भवदीय,

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

पता ....

टिप्पण : प्ररूप पर प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 83/2023/फा.सं. 370142/32/2023-टीपीएल]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ), तारीख 27 सितंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

INCOME-TAX

G.S.R.702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 115BAE, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Third Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 21AH, the following rule 21AHA shall be inserted, namely:–

"**21AHA. Exercise of option under sub-section (5) of section 115BAE.** (1) The option to be exercised in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 115BAE by a person, being a co-operative society resident in India, for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after the 1st day of April, 2024, shall be in Form No. 10-IFA.

(2) The option in Form No. 10-IFA shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.

(3) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall, –

(i) specify the procedure for filing of Form No. 10-IFA;

(ii) specify the data structure, standards and manner of generation of electronic verification code, referred to in sub-rule (2), for verification of the person furnishing the said Form; and

(iii) be responsible for formulating and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the Form so furnished."

3. In the principal rules, in the APPENDIX II, after Form No. 10-IF, the following Form shall be inserted, namely:–

"FORM No. 10-IFA

[*See sub-rule (1) of rule* 21AHA]

Application for exercise of option under sub-section (5) of section 115BAE of theIncome-tax Act, 1961

To,

The Assessing Officer,

……………

………

Sir/ Madam,

I,... , on behalf of [name and registered address of the co-operative society exercising the option under sub-section (5) of section 115BAE] ………. having Permanent Account Number (PAN) ....do hereby exercise the option referred to in sub-section (5) of section 115BAE of the Income-tax Act, 1961 for the previous year 20…..-….. and subsequent years,

2. The details of the co-operative society are given below:

(i) Name of the co-operative society	:
(ii) Whether a resident co-operative society	: Yes/No
(iii) PAN	:
(iv) Registered Address	:
(v) Date of Registration	: dd/mm/yyyy
(vi) Nature of activities	:
(vii) Date of commencement of manufacturing/ production	:

3. I understand that the option under sub-section (5) of section 115BAE, once exercised for any previous year, cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous year.

4. I do hereby affirm that-

(i) the business has not been formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence;

(ii) the business does not use any machinery or plant previously used except as provided in *Explanation 1* and *Explanation* 2 of sub-section (2) of section 115BAE of the Act;

(iii) the co-operative society is not engaged in any business other than the business of manufacture or production of any article or thing and research in relation to, or distribution of, such article or thing manufactured or produced by it as specified against point 2(vi) above.

5. I do hereby further affirm that the conditions stipulated in section 115BAE, in addition to the above conditions, shall be satisfied by the aforesaid co-operative society.

Place:

Date:

Yours faithfully,

Signature of Principal Officer……………………………….

Name…………………………………

Designation………………………….

Address……………………………….

Note: This form shall be signed by the principal officer.

[Notification No. 83/2023/ F. No.370142/32/2023-TPL]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy.(Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification Number S.O. 969 (E) dated the 26th March 1962 and were last amended *vide* Notification Number G.S.R 697(E) dated 27th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA